न्यायालयः–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :– श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 94/2023
प्रकरण दर्ज तिथि :– 24.08.2023
निर्णय तिथि :–15.01.2024

संशोधित आदेश

दिनांक :– 02.09.2024

न्यायालय हाजा की पत्रावली राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 94/2023 (राजस्थान काश्तकारी अधिनयिम धारा 53,188) अनवान विमला बनाम पपीया वगैरह, दिनांक 15.01.2024 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णित की गई थी।

उक्त पत्रावली में प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने बताया कि राजस्व वाद संख्या 94/2023 (राजस्थान काश्तकारी अधिनयिम धारा 53,188) अनवान विमला बनाम पपीया वगैरह, दिनांक 15.01.2024 को निर्णित हुई हैं, जिसमें वादीया ने अपने वाद में लिपिकीय भूलवश नामान्तकरण संख्या 63 को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया हैं, जो गलती व मूल से नामान्तकरण संख्या 63 अंकित कर दिया गया हैं। जिससे माननीय न्यायालय के निर्णय में भी लिपिकीय भूलवश से नामान्तकरण संख्या 63 अंकित कर दिया गया हैं लिपिकीय भूलवश को सुधारा जाकर नामान्तकरण संख्या 63 के स्थान पर 863 कर संशोधित आदेश करवाने का निवेदन किया हैं। इस पर उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं हैं।

अधिवक्तागण की उभयपक्ष बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन करने पाया कि वादपत्र में राजस्व वाद संख्या 94/2023 (राजस्थान काश्तकारी अधिनयिम धारा 53,188) अनवान विमला बनाम पपीया वगैरह, दिनांक 15.01.2024 को निर्णित पत्रावली में नामान्तकरण संख्या 63 अंकित हैं, जो वादपत्र में भी हैं लेकिन नामान्तकरण संख्या सही 863 हैं। इसीलिए न्यायहित में संसोधन किया जाना उचित हैं।

बहस, पत्रावली, रेकर्ड के अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी के तहत स्वीकार किया गया तथा राजस्व वाद संख्या 94/2023 (राजस्थान काश्तकारी अधिनयिम धारा 53,188) अनवान विमला बनाम पपीया वगैरह, दिनांक 15.01.2024 को निर्णित पत्रावली में नामान्तकरण संख्या 63 के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 863 संशोधित करने के आदेश दिये जाते हैं। यह संशोधित आदेश पूर्व में निर्णित पत्रावली संख्या 94/2023 का एक भाग होगा, जो मूल पत्रावली में संलग्न हों। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ हेतु तहरीर के साथ जारी हों। [illegible] दर्ज नम्बर से कम हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:46 IST
Reason: SelfAttested

(पूरण कुमार)
सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक .02.09.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)